अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0..से..तक

जिला.......................**मधेपुरा**........................, सं0...............**166**..............., सन् ....**2023**......................

केस का प्रकार......................**आर्बिट्रेशन**..**(रामदेव यादव बनाम राज्य)**................

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
08.07.2026	Railway एवं राज्य उपस्थित । Railway के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के भूमि का अधिग्रहण रेलवे एक्ट-1956 के प्रावधानों अनुसार नहीं किया गया है । अपितु Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के तहत अधिग्रहित किया गया है । RFCTLARR Act, 2013 के तहत प्रमंडलीय आयुक्त इस वाद की सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं हैं । उनका यह भी कहना है कि यह वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है । आवेदक चाहे तो RFCTLARR Act, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्राधिकार' के समक्ष वाद दायर कर आवेदक उचित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । रेलवे एवं सरकारी विद्वान अधिवक्ता को सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । RFCTLARR Act, 2013 की धारा-51 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्राधिकार' का गठन किया गया है । अतः प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है। तदालोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें । (ह०) आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा -सह-Arbitrator लेखापित एवं शुद्धित । (ह०) आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा -सह-Arbitrator	